

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

1- परियोजना/स्कीम का नाम i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र ii. जिला iii. वन प्रभाग iv. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) v. वन की कानूनी स्थिति vi. हरियाली का धनत्व vii. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0 आर0 एल0, एफ0 आर0 एल0-2 मीटर की परिगणना और एफ0 आर0 एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाये। viii. भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षिप्त टिप्पणी। ix. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी x. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया अनुबन्धित की जाये।) xi. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातिया पायी जाती है यदि हाँ तो ब्यौरा दे। xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें। 2- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार प्रस्तुत क्षेत्र क्या है। 3- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	जनपद शाहजहाँपुर में बरेली मोड़ से पक्का पुल, चैनेज 0.00 से 400, बरेली मोड़ से पिपरौला हअमदपुर (एस0एच0-29), चैनेज 459.00 से 475.00 तथा पक्का पुल से मेजबान होटल, चैनेज 328.130 से 330.130 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाये जाने में प्रस्तावित 0.66 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव। उ0प्र0। शाहजहाँपुर। 0.66 हे0 संरक्षित वन। 0.3 वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं है। भू-क्षरण से प्रस्तावित नहीं है। संरक्षित वन सीमा के अन्दर। नहीं। नहीं। नहीं। हाँ। लागू नहीं है।
--	--

(3)

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा - प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय। - प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये) 5- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षक रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें) 6- विभाग/जिला प्रोफाइल - जिले का भौगोलिक क्षेत्र - जिले का वन क्षेत्र - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क)- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख)- वनेतर भूमि पर - तक प्रतिपूरक वनीकरण में, हुयी प्रगति (क)- वन भूमि पर (ख)- वनेतर भूमि पर 7- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	लागू नहीं है। लागू नहीं है। वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं है। अतः सूचना रिक्त है। लागू नहीं है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। 4575 वर्ग किमी० 6464.50 है० स्वीकृत मामलों की सं०-20 क्षेत्र-46.6918 हे०। — — — 216.4063 हे० — जनहित में विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।
--	--

तिथि : 23/2/21

स्थान : शाहजहाँपुर।


 (आदर्श कुमार)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 वन एवं वृन्धजीव प्रभाग
 शाहजहाँपुर।

(4)